



**3 आरक्षण एवं भारण नीति / Reservation and Weightage Policy**

**3.1 भारण / Weightage**

<b>3.1.1</b>	Out standing sportsperson उत्कृष्ट खिलाड़ी	5% of marks obtained in qualifying examination. अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 प्रतिशत
<b>3.1.2</b>	N.C.C. "C" Certificate holders एन.सी.सी. का "सी" सर्टीफिकेट धारक	2.5% of marks obtained in qualifying examination. अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों का 2.5 प्रतिशत
<b>3.1.3</b>	For faculty of Law, girls will be given weightage of विधि संकाय में प्रवेश हेतु छात्राओं को दिया जाने वाला भारण	5% of marks obtained in qualifying examination. अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 प्रतिशत

**3.2 आरक्षण / Reservation**

**3.2.1 उर्ध्वाधर / Vertical**

<b>3.2.1.1</b>	Scheduled Caste* अनुसूचित जाति (अधिकतम आरक्षण )	21%
<b>3.2.1.2</b>	Scheduled Tribe* अनुसूचित जनजाति (अधिकतम आरक्षण )	2%
<b>3.2.1.3</b>	Other Backward Classes of U.P* अन्य पिछड़ा वर्ग (अधिकतम आरक्षण )	27%

\*वे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, को ही आरक्षण का लाभ देय होगा तथा अन्य प्रदेशों के अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे।

\*The scheduled caste, scheduled tribes and other backward class candidates originally belonging to Uttar Pradesh will be given the benefit of reservation. Scheduled castes, scheduled tribes and other backward class candidates of other states will be treated as general.

**3.2.2 क्षैतिज आरक्षण / Horizontal Reservation**

<b>3.2.2.1</b>	Son/daughter / spouse of LU Teachers/Employees लखनऊ विश्वविद्यालय अध्यापकों/कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति	As per University rules
<b>3.2.2.2</b>	Son/daughter/spouse of LU affiliated Govt./Aided Colleges of Lucknow University and Govt. Ayurvedic College लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय एवं राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के अध्यापकों के पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति	As per University rules
<b>3.2.2.3</b>	Physically Handicapped/Disabled विकलांगों के लिए (including 1% for blinds) (दृष्टि बाधितों हेतु 1% को सम्मिलित करते हुए)	3%
<b>3.2.2.4</b>	Son / Daughter / Grand Son / Grand Daughter of Freedom Fighters from U.P. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्री/पौत्र/अविवाहित पौत्री के लिए	2%
<b>3.2.2.5</b>	Son/Daughter of Retd. Defence Personnel or Physically Handicapped Defence Personnel or Defence Personnel killed in war or Defence Personnel posted in UP. सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों (स्वयं) अथवा शारीरिकरूप से विकलांग सैनिकों अथवा युद्ध में शहीद हुये सैनिकों अथवा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सेवारत सैनिकों के पुत्र/पुत्री के लिए	5%



- 3.3 वर्ग प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी /Competent authorities for issuance of certificates**
- 3.3.1** उत्कृष्ट खिलाड़ी  
Outstanding Sportsperson (3.1.1) लखनऊ विश्वविद्यालय एथलेटिक एसोसिएशन के अध्यक्ष  
Chairman of Lucknow University Athletic Association
- 3.3.2** विकलांग  
Physically Handicapped (3.2.2.3) जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
Chief Medical Officer of District
- 3.3.3** स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी  
Freedom Fighter (3.2.2.4) जिलाधिकारी  
District Magistrate
- 3.3.4** एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण पत्र  
N.C.C. "C" Certificate (3.1.2) सक्षम अधिकारी  
Competent Authority
- 3.3.5.1** अनुसूचित जाति \*  
Scheduled Caste (3.2.1.1) जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार  
District Magistrate, Additional District Magistrate, City Magistrate, Pargana Magistrate or Tehsildar
- 3.3.5.2** अनुसूचित जनजाति \*  
Scheduled tribes (3.2.1.2) जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार  
District Magistrate, Additional District Magistrate, City Magistrate, Pargana Magistrate or Tehsildar
- 3.3.5.3** अन्य पिछड़ा वर्ग \*  
Other backward class (3.2.1.3) जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार  
District Magistrate, Additional District Magistrate, City Magistrate, Pargana Magistrate or Tehsildar
- 3.3.5.4** आय-प्रमाणपत्र (छ: माह के अन्दर का) \*  
Income certificate (within 6 months) जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार  
District Magistrate, Additional District Magistrate, City Magistrate, Pargana Magistrate or Tehsildar
- 3.3.6** विश्वविद्यालय के अध्यापक/कर्मचारी  
Teachers/ Employees of University (3.2.2.1) कुलसचिव लखनऊ विश्वविद्यालय।  
01 मार्च 2017 के पूर्व निर्गत यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।  
Registrar, University of Lucknow. The certificates issued before 1st March, 2017 will not be considered.
- 3.3.7** राजकीय अनुदान प्राप्त लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय एवं राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के अध्यापक  
Teacher of the affiliated Govt./Aided Colleges of Lucknow University and Govt. Ayurvedic College (3.2.2.2) महाविद्यालय के प्रधानाचार्य  
Principal of the college
- \* आरक्षण तथा आय प्रमाण पत्र वेबसाइट से सत्यापित किया जायेगा।  
\* Caste & Income certificates shall be verified form relevent Government websites.
- 3.4** निम्नलिखित श्रेणी के खिलाड़ियों (छात्र एवं छात्राओं ) को खेल के आधार पर भारण विश्वविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।  
The weightage will be given according to the rules of University to the players of the following categories:



**3.4.1** ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने जनपद में चयन के पश्चात् क्षेत्रीय टीम की ओर से अन्तर-क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में पिछले दो वर्षों में भाग लिया हो (डी.आइ.आ.एस. / आर.आई.आ.एस. / डी.डी.ओ. द्वारा दिये गये मूल प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे )।

Such players who have taken part in the inter-regional competitions on behalf of regional team after being selected at the district level in the last two years (the original certificates given by the DIOS/RIOS/DDO will be acceptable).

अथवा /or

**3.4.2** ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने उत्तर प्रदेश का पिछले दो वर्षों में राष्ट्रीय अथवा अन्तर-प्रदेशीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व किया हो तथा प्रतियोगिताएं अधिकारिक मान्यता प्राप्त प्रदेशीय खेलकूद संस्थाओं द्वारा आयोजित की गई हों। इन प्रतियोगिताओं के आयोजकों अथवा राजकीय संस्थाओं द्वारा दिये गये मूल प्रमाणपत्र ही मान्य होंगे।

Such players who have represented Uttar Pradesh in national or inter-state competitions in last two years and the competitions have been organized by State Sports organizations recognized by the authorities. The certificates given by the organizers of Govt. organizations of these competitions will be acceptable.

**3.4.3** **नोट-** 1. केवल वही खिलाड़ी अर्ह होंगे जिन्होंने ऐसी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया हो, जिनकी सुविधा लखनऊ विश्वविद्यालय में उपलब्ध है तथा जिन्हें विश्वविद्यालय संघ (खेलकूद विभाग), नई दिल्ली या राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त है।

Note: 1. Only those players are eligible who have taken part in such sports competitions for which facility is available in Lucknow University and which are recognized by University Union (sports department), New Delhi or National institutions.

**3.4.4** **नोट-** 2. खेल एवं विकलांग भारण/आरक्षण लेने हेतु अभ्यर्थियों को एक स्पोर्ट्स बोर्ड/मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा। जो अभ्यर्थी इन बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे उनके प्रवेश हेतु खेल एवं विकलांग भारण/आरक्षण की सुविधा नहीं दी जाएगी और उनका आवेदन पत्र सामान्य श्रेणी में स्वीकार होगा। स्पोर्ट्स बोर्ड/मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने की सूचना केवल लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही दी जायेगी।

Note 2. For getting sports and handicapped weightage/ reservation, candidate will have to be present before the sports/medical board. The candidate, who does not appear before these boards, will not be provided the sports and handicapped weightage/ reservation for admission and his/her admission form will be considered as of general category. Information in this regard will be given only on University website.